

प्रेषक,

श्री अमीर गांगोत्री,
बहु सा संचित
उत्तर प्रदेश राजन.

तेवा मे.

संघिय
इन्द्रिय प्राध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा भौति 2 तमाम इन्द्रि
प्राप्ति शिक्षा प्रदेश दिल्ली।

लिखा 17। उम्मान

विषय:- सारिया ज्ञेस्वा बान्चेन्ट राज्य इंडियालू रोड बोकराताल बाईपुर
नेत्रांगाम को तीर्थीय स्कूल में नई दिल्ली से तम्बूद्दा छू जापाति उम्मान
पर दिये जाने के तथा यह-

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यहे यह बहने का निर्देश हुआ है कि सारिया ज्ञेस्वा
बान्चेन्ट राज्य इंडियालू रोड बोकराताल बाईपुर नेत्रांगाम को तीर्थीय स्कूल में
दिल्ली से तम्बूद्दा प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाएँ
के अधीन जापाति नहीं हैं :-

1। विद्यालय की पैकीकृत होतायटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा।


2। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नायित वह
बदल्य होगा।

3। विद्यालय में कम से कम प्रत्यास्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए बुराहित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
प्राध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तीव्रता विद्यालयों में विभिन्न
व्यावरों के लिए निर्धारित शुल्क से उधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4। तीव्रता द्वारा राज्य सरकार से जिसी उन्नान की मांग नहीं जो
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय प्राध्यमिक शिक्षा परिषद् ने
वैतिक शिक्षा परिषद् ने मान्यता प्राप्त है तथा प्रारंभिक/विद्यालय
को तम्बूद्दा केर्नीय प्राध्यमिक शिक्षा परिषद्/कोति कार दि
द्विधित राज्य तीव्रता विद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त होती है
तो उत परीक्षा परिषदों ने तम्बूद्दा प्राप्त होने की तिथि ने
परिषद् ने मान्यता तथा राज्य सरकार के उन्नान स्थान प्राप्त की
जायेगी।

5। तीव्रता केर्नीय स्वयं विद्यालय विद्यारियों को राज्यीय तहायता प्राप्त
शिक्षण तीव्रताओं के कर्मियारियों को उन्नान वैतनमानों तथा उन्नान
भूतों से कम वैतनमान तथा उन्नान भूतों परि नहीं किये जायेगे।

6। कम्मारियों की जेवा ज्ञेस्वा बाईपुर जायेगी जो राज्य सरकार



Hallerz

ज्ञानसंकीर्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के श्रमिकारियों को इनुमन्य
वेदों निरूपित बा तात्र उपलब्ध कराये जाएगे ।

- 17। राज्यसंसद द्वारा हम सभ्य पर जो भी आदेश निर्भी किये जाएंगे,
हमें उनका पालन करेंगे ।
 - 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम/विकासी ऐ रहा जायेगा ।
 - 19। उसी इतरों में राज्य सरकार के यूवनियोगिन के बिना होई परिषद/संगठन
का परिषद्वारा नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन इस संस्था के लिए अनिवार्य होगा और
इसी किसी सभ्य पड़ पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन
नहीं किया जा सकता है उसका पालन इसने ऐ किसी इकार की यूक पा शिखिता इसी
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा इटत्ता अनापरित उमान घब्रावस ने निर्दा
जायेगा ।

भवदीय,

(अधोक योग्यी।
तंपुक्त संघिष ।

प्र०स० 3815411/15-7-1996 तदिनांक

प्रतिमियि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जारीताही हेतु देखिः :-

- 1- विद्या निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संघवत उषि विद्या निदेशक इमार्यू काल मैनीताल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीष्कृ नैनीताल ।
- 4- निरीष्कृ झाँगल धौरतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- इस्तम्बु भारिण ओस्टा बान्डेन्ट स्कूल दिल्ली रोड छोकराताल जारीपुर
नैनीताल ।

आशा है,

Subas

(अधीक योग्यी।
तंपुक्त संघिष ।



Manager / प्रबन्धक
Maria Assumpta Convent School
मारिया असुम्पता कान्वेट स्कूल
P.B. No.-16 Dariyal Road
पो.०३०००८० न०-१६ दरियाल रोड
Kashipur (U.S.Nagar) / काशिपुर (यू.एस.नगर)